

# न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर

पीठासीन अधिकारी

पूजा पार्थ  
आई.ए.एस.

सायल  
राजस्थान सरकार जरिये, प्रदीप  
परिहार प्रवर्तन निरीक्षक भीनमाल

बनाम

गैरसायल  
सूरज मेवाडा पुत्र बाबूलाल जाति मेवाडा निवासी  
सूरतो की ढाणी विवेक विहार भीनमाल जालोर  
मालिक-यश एंटरप्राइज विवेक विहार भीनमाल  
जिला जालोर

प्रकरण संख्या

12/2023

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

पक्षकारान :-

1. प्रवर्तन निरीक्षक भीनमाल
2. गैर सायल बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

--:निर्णय::--

दिनांक 28.05.2024

1. सायल ने यह इस्तगासा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैर सायल से जब्त शुदा 1 घरेलू सिलेण्डर मय गैस को ई.सी. एक्ट के तहत राजसात (Confiscate) करावे।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को इस्तगासा की प्रति भेजते हुए नोटिस जारी, किया गया, गैर सायल बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में एक तरफा बहस सुनी गई।
3. प्रवर्तन अधिकारी, भीनमाल ने अपनी बहस में तर्क दिया कि मेरे बहमराह प्रवर्तन निरीक्षक जालोर द्वारा दिनांक 09.04.2023 को सूरतो की ढाणी विवेक विहार भीनमाल पर सूरज मेवाडा पुत्र बाबूलाल जाति मेवाडा निवासी सूरतो की ढाणी विवेक विहार भीनमाल रूबरू मौत बिरान श्री महेन्द्र कुमार पुत्र गोपालजी निवासी घासियो का चौहटा भीनमाल एवं महेन्द्र कुमार पुत्र बशीलाल निवासी तलबी रोड भीनमाल की मौजूदगी में व्यवसाय स्थल के निरीक्षण/तलाशी के दौरान द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (2) के वर्णित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किलोग्राम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस क्षमता वाले) का व्यवसायिक उपयोग गैस रिफिलिंग मोटर से दुरुपयोग की संभावना होने पर फर्म दुकान मालिक/कार्यकर्ता ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत घरेलू गैस सिलेण्डर की द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग घरेलू प्रयोजन हेतु नहीं करके विभिन्न कार्यों (वाणिज्य उपयोग) हेतु अवैध रूप से उपयोग किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डर का क्रमांक 587852-S, कम्पनी का नाम-इण्डेन, सिलेण्डर पर एल.पी.जी. का उपदर्शित भार-30 किग्रा, खाली सिलेण्डर का भार 15.8 किग्रा, भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी. 16.1 किग्रा, शुद्ध गैस का भार 300 ग्राम पाया गया। अतः मौके पर प्रतिष्ठान/फर्म मालिक व कार्यकर्ता द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन आदेश 2000 के खण्ड 3(1)(ख) एवं (ग) एवं 7(ग) का उल्लंघन करने मेरे द्वारा उक्त वर्णित घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस आदेश के खण्ड 13 मे प्रदत्त भावित्तियों का प्रयोग करते हुए अभिग्रहण किया गया है। अभिग्रहण शुदा घरेलू गैस सिलेण्डर सुपुर्दगीनामा पर श्री महेन्द्र कुमार पुत्र बशीलाल कार्यकर्ता हरिओम इण्डेन भीनमाल को सुपुर्द किये गये हैं। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के की धारा 6 ए के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अभिग्रहण शुदा भरे हुए 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों की अवहेलना किये जाने से राजसात कराने का श्रम करावे तथा गैस सिलेण्डर मे भरी हुई गैस (जो वाष्पीकृत होने वाला विस्फोटक पदार्थ) का तथा उक्त वर्णित गैस सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण करने का आदेश भी प्रदान करावे।
4. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस्तगासे में वर्णित तथ्यों के अनुसार गैर सायल के पास से 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस अवैध रूप से संग्रहण कर व्यवसायिक उपयोग के कारण जब्त किया गया है। गैर सायल के पास कोई वैध लाईसेन्स नहीं था। इस प्रकार फर्म मालिक द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग कर "द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000" के खण्ड 3 (1) (ख) व (ग) का स्पष्ट का स्पष्ट उल्लंघन किया है। यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः सायल का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा जब्त किया गया 1 सिलेण्डर मय गैस को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जब्त शुदा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है। अतः जिला रसद अधिकारी जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त किए गए 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार निस्तारण कर उनसे प्राप्त राशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा करवाने की व्यवस्था कर इस न्यायालय को सूचित करे।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलेक्टर  
जालोर  
28/5/24

जिला कलेक्टर  
जालोर